

राजरथान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर


क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)(17)डीएलबी / 19/21095

दिनांक: 18/9/19

आदेश

निर्देशानुसार विभागीय आदेश क्रमांक प.8(क)(वि.सं.)(17)डीएलबी / 19/19192-204 दिनांक 29.07.19 द्वारा क्रम संख्या 02 पर अंकित श्री अवधेशदान देवल, एडवोकेट की नगरपालिका, आबूरोड में विधि सलाहकार के पद पर की गई नियुक्ति को निरस्त करते हुए इनके स्थान पर श्री शैलेश परिहार एवं श्री आरिफ खान, एडवोकेट को नगरपालिका आबूरोड में पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार लगाया जाता है।


इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान संबंधित नगरीय निकाय से देय होगा।

  
(उज्ज्वल राठी)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8(क)(वि.सं.)(17)डीएलबी / 15/21096-21104 दिनांक: 18/9/19  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, आबूरोड।
04. श्री शैलेश परिहार/श्री आरिफ खान, एडवोकेट मार्फत नगरपालिका, आबूरोड।
05. श्री अवधेशदान देवल, एडवोकेट मार्फत नगरपालिका, आबूरोड।
06. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
07. सुरक्षित पत्रावली।

  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी